राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत भीम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत भीम

प्रकरण सं. – 3/2013 रेवा निर्णय दिनांक – 02.07.2015

अनवान

1. श्री गुरूशरण सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह रावत निवासी बालातो की गुआर तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. श्री डाउ सिंह पुत्र अजमाल सिंह जाति रावत निवासी पडाव तहसील भीम

प्रतिवादीगण

## वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीए

ग्राम बालातों की गुआर पंचायत समिति भीम जिला राजसमन्द की जमाबंदी संवत 1350 फसली के अनुसार आराजी खसरा सं. 10466 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी स्थित होकर तत्कालीन खातेदार श्री अजमालसिंह पुत्र श्री लुम्बसिंह रावत निवासी भीम एंव नौला पिता कुंपा रावत के नाम 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज थी। श्री नौला पिता कूंपा रावत के लाऔलाद मृत्यु को प्राप्त हो जाने से उक्त आराजी का एक मात्र मालिक खातेदार श्री अजमाल सिंह पिता लूम्बसिंह रावत निवासी भीम ही रह गया था। अजमाल सिंह पुत्र श्री लूम्ब सिह रावत, निवासी भीम ने अपने खातेदारी एवं मालिकाना अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15.09.1973 को बिल एवज 1000/– एक हजार रूपए नकद प्राप्त कर उक्त आराजी सं. 10466 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा 10 विस्वांसी जरिए पंजीकृत बयनामे के वादी के पिता श्री गोपालसिंह पिता डूंगरसिंह रावत को बय करते हुए कब्जा दे दिया एवं तब से उक्त आराजी वादी के पिता के जीवित रहते उनके कब्जे एवं क़ाश्त में चलती रही एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वादी को उतराधिकार में मिली एवं तब से यानी पिछले दो साल से उक्त आराजी वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है एव वही उसका उपयोग एवं उपभोग बतौर मालिक सभी की जानकारी में खुले रूप से अपने स्वत्वः एवं अधिकारों की घोषणा करते हुए बिना किसी रोक–टोक के निरन्तर करता चला आ रहा है। वादी एवं उसके पिता के मध्य पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर कुछ मनमुटाव हो जाने के कारण वो दोनों अलग–अलग रहते थे। वादी ग्राम बालातों की गुआर में रहता हुआ वहा स्थित खेती–बाडी व जमीन की देखभाल करता था तथा वादी का पिता गोपालसिंह ग्राम सदारण में रहता हुआ सामाजिक कार्य करता था–ऐसी स्थिति में वादी निरन्तर यही समझता रहा कि अन्य आराजियात की तरह वादग्रस्त आराजी भी वादी के पिता के नाम ही रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज होगी एवं उनकी मृत्यु के पश्चात उतराधिकार में मिलने से लेकर पिछले साल तक यही मानता व जानता रहा कि वादग्रस्त आराजी अन्य आराजियात की तरह उसके नाम नामांतरणकरण हो गई होगी किन्तु पिछले साल रेवेन्यू रिकार्ड देखने पर उसे पता चला कि उक्त आराजी रेवेन्यू रिकार्ड में प्रतिवादी ने अपने पिता अजमाल सिंह की मृत्यु के पश्चात अपने नाम दर्ज करवा ली है जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि प्रतिवादी का पिता अजमालसिंह उक्त आराजी को सन 1973 में ही वादी के पिता श्री गोपालसिंह को पंजीकृत बयनामे के द्वारा विक्रय कर कब्जा दे चुका था एवं वादग्रस्त आराजी वादी के पिता एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वादी के कब्जे एवं काश्त में चली आ रही थी। वादी को जब यह पता चला कि वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी ने अपने नाम करवा ली है तो वह सितम्बर 2011 में प्रतिवादी से मिला एवं उसे कहा कि आपने आराजी संख्या 10466 जिसके नए नम्बर 12746 बने है, अपने नाम कैसे करवा ली? तो प्रतिवादी ने वादी को कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया एवं उसके पश्चात वादी द्वारा बार–बार कहने के उपरांत भी उक्त आराजी को वादी के नाम दर्ज नहीं कराने से वाद हेतु निरन्तर पैदा हो रहा है एवं वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पड रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प भीम** मे पेश हुआ वादी का वाद आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी के पिता ने वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 10466 को बिल एवज 1000 रूपये अक्षरे एक हजार रूपये में प्रतिवादी के पिता से जरिये पंजीकृत बयनामे के किमतन खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है उक्त आराजी नम्बर जिसके भू प्रबंध मे नम्बर बदलकर 10466 से नये नम्बर 12746 रकबा 01 बीघा 03 विस्वा का नामांकन वादी के नाम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है पत्रावली फैसल शुमार होकर निर्णय से कम हो।

निर्णय की पालना में तहसीलदार भीम को लिखा जाकर पालना से अवगत कराना सुनिश्चित करे।

पीठासीन अधिकारी
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner